IV-1 53

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

रामजी सहाय
स्टाम्प वेन्डर
कोषागार, जौनपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EE 830981

न्यास प्रपत्र (ट्रस्ट डीड)

यह न्यास विलेख आज वर्ष 2018 के [illegible] के 25.05.2018 दिवस को शशिकान्त सिंह वयस्क पुत्र श्री राम बरन सिंह निवासी मो0–परमानतपुर उमरपुर [illegible] परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला–जौनपुर द्वारा निर्मित और निष्पादित किया गया।

– यह कि न्यास निष्पदक एक न्यास आर बी एस कॉलेज ऑफ ऐजुकेशन जौनपुर नाम से अपने पूज्य पिता श्री की स्मृति में स्थापित कर रहा है।

– यह कि निष्पादक यह घोषित करता है कि आर बी एस कॉलेज ऑफ ऐजुकेशन संस्थान जौनपुर एक न्यास जिसकी स्थापना के लिए अपने स्वतंत्र और निष्पक्ष विचार से स्वेच्छापूर्वक 50,00 रुपये में समर्पित करता हूँ। जो पूर्णतः उपरोक्त न्यास का धन होगा और न्यासी मण्डल उसे न्यास के लिए धारण करेगा।"

– यह कि इस न्यास का स्थाई पता– मो0–परमानतपुर, उमरपुर हरिबन्धनपुर परगना–हवेली–तहसील सदर शहर व जनपद जौनपुर है।

1.	ट्रस्ट का नाम	–	आर बी एस कॉलेज ऑफ ऐजुकेशन
2.	ट्रस्ट का पता	–	परमानतपुर, पो0– कचेहरी, जिला–जौनपुर।
3.	ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण भारत वर्ष
4.	ट्रस्ट का उद्देश्य	–	ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्य है।

1. यह न्यास प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर, स्तर तक (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृति, उर्दू के माध्यम के विद्यालय की स्थापना) की शिक्षा तकनीकी शिक्षा, कम्प्यूटर सम्बन्धी शिक्षा, अभियंत्रण शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, विधि संकाय और हर प्रकार की शिक्षाओं के प्रचार और प्रयास के लिए प्रयास और कार्य करेगा।

SKS

1823 25-5-18 100

X 7 MAY

JAUNPUR

उत्तर प्रदेश

पुष्टि विलेख 60

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कारागार, जौनपुर

EE 830982

2. यह कि यह न्यास प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा तकनीकी, शिक्षा, कम्प्यूटर, विधि संकाय सम्बन्धी शिक्षा, अभियंत्रण शिक्षा चिकित्सा शिक्षा और हर प्रकार की शिक्षाओं के प्रचार और प्रयास के लिए प्रयास और कार्य करेगा।

3. यह कि यह न्यास आर्थिक, मानसिक शारीरिक रूप से असमर्थ और असहाय लोगों ने जीवन यापन और मानवता के विकास के लिए कार्य करेगा।

4. यह कि यह न्यास दलित पीड़ित और असमर्थ लोगों के लिए चिकित्सालय स्थापना और उनकी सहायता आदि की व्यवस्था का कार्य करेगा।

5. यह कि यह न्यास खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए और स्वस्थ और कल्याणकारी समाज की स्थापना के लिए कार्य करेगा।

6. यह कि यह न्यास छात्रवृत्ति देने पुरस्कार देने आर्थिक, सहायता देने का कार्य करेगा।

7. यह कि यह न्यास सामाजिक धार्मिक और कल्याणकारी योजनाएं संचालित करेगा।

8. यह कि यह न्यास छात्रावास, धर्मशाले, पुस्तकालय, वाचनालय, सूचना केन्द्र आदि स्थापित और व्यवस्थित करेगा।

9. यह कि यह नस साहित्यकला और समाज के विकास के लिए अन्य वैध और नियमित कार्यक्रम संचालित करेगा।

10. यह कि यह न्यास सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए व्यापार व्यवसाय उद्योग और विकास सम्बन्धी कार्यो को करने हेतु तत्पर रहेगा।

11. यह कि यह न्यास सरकारी संस्थाएँ (NGO) स्थापित करने और संचालित करने का कार्य तत्परता से करेगा।

12. यह कि यह न्यास स्थानीय और समाज और प्रदेश और देश के विकास के लिए और शिक्षा सम्बन्धी सभी आवश्यक और आनयंगिक कार्यो को करने के लिए तत्पर और प्रयासरत् रहेगा।

13. यह कि यह न्यास नवीन तकनीकी उपकरणों द्वारा ग्रामोद्योग शिक्षा का प्रशिक्षण देना।

1824 25-8-18 100 न्यास पत्र

प्रतिफल- स्टाम्प शुल्क - 730 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 560

1823 किया ... राजेन्द्र

श्री रविकान्त सिंह ,

पुत्र श्री रामबरन सिंह

व्यवसाय : कृषि

निवासी: परमानतपुर उमरपुर हरिबन्धनपुर पो0 रुपैला तह0 सदर जि0 जौनपुर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 21/06/2018 एवं 01:24:55 PM बजे

निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संतोष कुमार सिंह

उप निबंधक सदर

जौनपुर

प्रिंट करें

अंकित श्रीवास्तव

नि०लि०

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये   Rs. 100

रु. 100   ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   EE 830983

अधिवक्ता
कोतवाली बाजार, जौनपुर

14. यह कि यह न्यास का चिकित्सा के क्षेत्रों में निःशुल्क सुविधा प्रदान कर लोगों को विभिन्न भयंकर बिमारियों जैसे कैंसर तपेदिक, मलेरिया पोलियो चिकन, एड्स, प्लेग, पोलियो, टीकाकरण तथा हेपेटाइटिस जैसे भयंकर बिमारियों के बारे में लोगों को जानकारी देना।

15. यह कि यह न्यास का विकलांगों एवं नेत्रहीन लोगों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना तथा नशा मुक्त करना तथा सही शिक्षा देना।

16. यह कि यह न्यास समाज कल्याण विभाग तथा केन्द्रीय राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड तथा युवा कल्याण कृषि, श्रम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय शिक्षा, कपार्ट नाबार्ड, यूडा, डूडा जिला ग्राम विकास अभिकरण मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा संचालित व बाल कल्याण एवं महिला कल्याण कार्यक्रम का संचालन करना।

17. यह कि यह न्यास किसी भी संस्थान से निर्माण, सामान सप्लाई, (भवन निर्माण, सड़क निर्माण) का संचालन करेगा तथा ट्रस्ट को बढ़ावा देना।

6— न्यास का सामान्य प्रबन्ध—

1. यह कि यह न्यास निम्नलिखित न्यासी मण्डल द्वारा संचालित और प्रशासित किया जायेगा।

2. यह कि न्यास विधायक निम्नलिखित लोगों को आजीवन न्यासी नियुक्त करता है जिन्हें न्यासमण्डल कहा जायेगा।

1. सुरजीत सिंह वयस्क पुत्र शिवशंकर सिंह निवासी ग्राम गंगापुर पोस्ट—मड़ौल, जनपद—जौनपुर।

2. प्रताप सिंह पुत्र शशिकान्त सिंह निवासीग्राम परमानन्दपुर उर्फ अरगूपुर हरिहरनपुर पोस्ट—कचहरी, जनपद—जौनपुर।

आज दिनांक 1823 ... को ... सिंह, पुत्र ... मजमून व प्राप्त धनराशि व प्रलेखानुसार उक्त

पत्र छाप करने का नवीकरण ...

क्रेता ...

बरनामा ...

1823 श्री ... सिंह, पुत्र श्री ...

निवासी: ... हवेली ... सदर जिला जौनपुर

व्यवसाय: कृषि

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री राजनाथ सिंह, पुत्र श्री रामबदन सिंह

निवासी: शिवपुर बयालसी सदर जौनपुर

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री संजीव कुमार सिंह, पुत्र श्री अमरनाथ सिंह

निवासी: जमैथा हवेली सदर जौनपुर

व्यवसाय: कृषि

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं ।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संतोष कुमार सिंह
उप निबंधक : सदर
जौनपुर

प्रिंट करें

पुष्टि विलेख 60

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

रामजी सहाय
उपरोकड़िया
कोयागार, जौनपुर

EE 830985

11. यह कि मुख्य न्यासी को उपरोक्त सामान्य अधिकारों के अतिरिक्त निम्नलिखित अधिकार भी होंगे तथा न्यासी मण्डल के किसी भी प्रस्ताव को न्यासहित में प्रति निषेधित करने और अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य न्यासी होगा।

क– यह कि मुख्य न्यासी को प्रत्येक प्रकार के दान, चन्दा, उपहार, अनुदान, नकल चल और अचल सम्पत्ति के रूप में व्यक्ति संस्था निगम, वित्तीय, संस्था, स्थानीय, निकाय राज्य और केन्द्र सरकार अथवा किसी भी अन्य न्यास से प्राप्त करने और स्वीकार करने का अधिकार होगा जो न्यास की सम्पतित मान्य होगी जिसे न्यास के कार्य और उद्देश्य की पूर्ति हेतु उपयोग किया जायेगा।

ख– यह कि न्यास के हित में किसी सम्पत्ति को बिक्री करने विनिमय करने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार न्यासी मण्डल के प्रस्ताव पर मुख्य न्यासी को अपने हस्ताक्षर से उस समय प्रचलित विधि के अनुसार करने का होगा।

ग– यह कि न्यास के नाम से खाता खोलने, बन्द करने और संचालन करने का अधिकार मुख्य न्यासी को होगा।

घ– यह कि यथा आवश्यकता कर का भुगतान, न्यास की सम्पत्ति के उचित रखरखाव मरम्मत सुधार और निर्माण न्यास निधि से करने का अधिकर मुख्य न्यासी को होगा।

ङ– यह कि न्यासी मण्डल के प्रस्ताव पर किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से न्यास के कार्यो की प्रगति के लिए ऋण लेने का अधिकार मुख्य न्यासी को होगा तथा ऋण अदा को मुख्य न्यासी होगा।

च– यह कि न्यास के लिए वांद प्रस्तुत करने अथवा न्यास के विरुद्ध प्रस्तुतवाद का प्रतिवाद करने और इस सम्बन्ध में कुल विधिक कार्यवाही करने का अधिकार मुख्य न्यासी को होगा। कोइ भी प्रकरण न्यायालय में नहीं जायेगा।

छ– यह कि न्यासी मण्डल को न्यासियों में से उपसमिति गठित करने और न्यास के कार्यो की प्रगति के लिए यथा आवश्यकता उन्हें अधिकृत करने का अधिकार मुख्य-न्यासी की अनुमति से होगा।

Such

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

रमजी सहाय
उपकोषागार, जौनपुर

EE 830986

ज– यह कि न्यासी गण्डल के प्रस्ताव पर इस न्यास को किसी अन्य न्यास संस्था और संघ में सम्मिलित करने का अधिकार मुख्य न्यासी को होगा।

झ– यह कि न्यासी गण्डल के प्रस्ताव पर न्यास के कार्यो के उचित सम्पादन और क्रियान्वयन के लिए मंत्री, प्रबन्धक अथवा अन्य कर्मचारी और पदाधिकारी नियुक्त करने और उन्हें वेतन/मानदेय देने और उनके विरुद्ध अनुशासनिक वेतन/मानदेय देनेन और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का अधिकार मुख्य न्यासी को होगा।

च– यह कि न्यास के उचित प्रबन्धन, नियंत्रण, संचालन और प्रशासन के लिए तथा न्यास निधि और न्यास सम्पतित और उनसे सम्बन्धित और अनुसंग्रिक सभी कार्यो को करने का सामान्य अधिकार मुख्य न्यासी को होगा।

12. यह कि न्यासी मण्डल को मुख्य न्यासी को छोड़कर अन्य किसी भी न्यासी को न्यास मण्डल से हटाने का अधिकार होगा यदि यह शारीरिक और मानसिक रूप से न्यास का कार्य करने के अयोग्य हो गया हो अथवा न्यास के हितों के विरुद्ध कार्यकर रहा हो अथवा न्यास या न्यासी निधि और न्यास सम्पत्ति को अपने कार्य व्यवहार और आचरण से क्षति कार्यरत् कर रहा हो।

13. यह कि न्यासी अपने हस्ताक्षर से न्यासी के रूप में न्यास गण्डल से त्यागपत्र दे सकता है जो न्यासी गण्डल की स्वीकृति के दिन से प्रभावी होगा तथा मुख्य न्यासी को अपना उत्तराधिकारी मुख्य न्यासी के रूप में उसका संतान का अधिकार होगा।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

रामजी सहाय EE 830966
उपरोकड़िया
कोषागार, जौनपुर

14. यह कि मुख्य न्यासी को न्यास के प्रबन्ध का न्यास निधि और न्यास सम्पत्ति और उसके कार्यो के पूर्ण प्रबन्धन का उचित और आवश्यक सभी अधिकार होगा।

15. यह कि न्यासी मण्डल की सभी बैठकों की अध्यक्षता मुख्य न्यासी द्वारा की जायेगा और न्यासी मण्डल की बैठक स्वयं मुख्य न्यासी द्वारा अथवा मुख्य न्यासी के लिखित आदेश पर किसी भी न्यासी को बुलाने का अधिकार होगा।

16. यह कि न्यासी मण्डल की आवश्यक बैठक तीन दिनों की नोटिस पर और सामान्य बैठक 10 दिनों की नोटिस पर बुलाई जा सकेगी और नोटिस लिखित निर्गत की जायेगी।

17. यह कि मुख्य न्यासी और न्यासी मण्डल के अन्य 2/3 न्यासियों की उपस्थिति न्यासी मण्डल की बैठक के लिए गणमूर्ति का काम करेगी।

18. यह कि न्यासी मण्डल की बैठक की कार्यवाही मुख्य न्यासी द्वारा अथवा उसके लिखित निर्देश पर न्यासी मण्डल के किसी अन्य न्यासी द्वारा कार्यवाही पंजिका में स्पष्ट और हिन्दी देवनगरी लिपि में लिखी जायेगी। जिस पर मुख्य न्यासी और लेखक के हस्ताक्षर होंगे। यदि कोई भूल त्रुटि और गलती कार्यवाही में दिखायी पड़ती है तो उसके पश्चात् की दूसरी बैठक में उसे पुष्ट करने के पूर्व शुद्ध किया जायेगा।

19. यह कि इस न्यास के सम्बन्ध में कुल कार्यवाही करने का अधिकार बहुमत के आधार पर न्यासी मण्डल में होगा किन्तु न्यासी मण्डल के किसी भी प्रस्ताव को न्यासहित में प्रति नियोजित करने और अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य न्यासी को होगा।

20. यह कि न्यास के सभी खाते और आय–व्यय से सम्बन्धित विवरण प्रत्येक वर्ष के अप्रैल की पहली तिथि से प्रारम्भ होकर उसके पश्चात् आने वाले 31 मार्च तक बन्द किये जायेंगे।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 878563

21. यह कि उपरोक्त नियुक्त न्यासी मण्डल और मुख्य न्यासी ने इस न्याय में अपने नामांकन और नियुक्ति को और न्यास को और न्यास निधि को और इस नियमावली को अंगीकृत और स्वीकृत करके हस्ताक्षरित किया है और न्यासीमण्डल को इस न्यास नियमावली में यथा आवश्यकता संशोधन परिवर्तन करने तथ्यों को जोड़ने और हटाने का अधिकार बहुमत से होगा किन्तु उसकी स्वीकृति और अस्वीकृति मुख्य न्यासी के अधिकार में होगी।

22. यह मुख्य, न्यासी ही प्रबन्धक/सचिव का अधिकार होगा।

जो निम्न प्रकार के पद पर मुख्यन्यासी करेगा।

1. शशिकान्त सिंह — प्रबन्धक
2. श्री दुष्यन्त सिंह — अध्यक्ष
4. जितेन्द्र कुमार सिंह — उपाध्यक्ष
5. प्रभव सिंह — सदस्य
6. वैभव सिंह — सदस्य

मसौदाकर्ता-
हरिप्रसाद सिंह ए०
सदर जौनपुर

SUCh

राजनाथ सिंह
पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह
त्रिपाठ बुपालम
सदर जौनपुर

संदीप यादव S/o
रामनरेश यादव
जमौली
तह० सदर
जि० जौनपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EE 830984

रामजी सहाय
उपरोकड़िया
कोषागार, जौनपुर

3. वैभव सिंह पुत्र शशिकान्त सिंह निवासीगण परमानतपुर उमरपुर हरिवन्धनपुर पोस्ट–कचहरी, जनपद–जौनपुर।

4. जितेन्द्र कुमार सिंह वयस्क पुत्र राजबहादुर सिंह ग्राम–जंगापुर, पोस्ट–गाऊपुर, जनपद–जौनपुर।

3. यह कि शशिकान्त सिंह वयस्क पुत्र रामवरन सिंह निवासी–परमानतपुर उमरपुर हरिवन्धनपुर पोस्ट–कचहरी जनपद–जौनपुर मुख्य न्यासी होंगे जिन्हें किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का भी अधिकार होगा।

4. यह कि न्यास निष्पादक द्वारा दी गयी उपरोक्त धनराशि और अन्य सम्पत्ति जो दान स्वरूप उपहार स्वरूप अन्तरण से अनुदान से किसी अन्य न्यास से किसी व्यक्ति से संस्थान से निगम से संघ से स्थानीय निकाय से सरकार से अथवा न्यास की सम्पत्ति की वृद्धि से या आप से क्षतिपूर्ति से नकद चल अथवा अचल सम्पत्ति के रूप में प्राप्त होगी। वह न्यास की सम्पत्ति होगी और न्यास निधि।

5. यह कि न्यास के कार्य और उद्देश्य को पूरा करने के लिए न्यासी मण्डल न्यासनिधि को बैंक पोस्ट–ऑफिस व्यवसायिक संस्था राजकीय सुरक्षापत्र बांड शेयर आदि में जमा करेगा और निवेश करेगा।

6. यह कि सभी आय और व्यय का शुद्ध सत्य और उचित प्रबन्धन न्यासी मण्डल करेगा जिसका लेखा परीक्षण चार्टर्ड लेखा परीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में एक बार अवश्य कराया जायेगा।

7. यह कि न्यासी निधि और न्यास की सभी सम्पत्ति से होने वाली आय के उपयोग की विधि न्यासी मण्डल निर्धारित करेगा।

8. यह कि न्यास निधि से न्यास के लिए सम्पत्ति क्रय की जा सकेगी। बंधक और पट्टे पर और लाइसेंस पर ली जा सकेगी जिसका निर्धारण न्यासी मण्डल करेगा।

9. यह कि न्यासी मण्डल को सम्पत्ति आस्ति और निवेश आदि प्राप्त करने और निवेश करने का अधिकार होगा।

10. यह कि न्यास के कार्य और न्यासी निधि का नियंत्रण और प्रबन्ध का अधिकार मुख्य न्यासी का होगा।

Subh